HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3043/2017

Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd., Having Its Registered Office At GE Plaza, Airport Road, Yarawada, Pune - 411006 And Having Its Regional Office At O-12 A, Second Floor, Ashok Marg, Mundra Tower, C-Scheme, Jaipur Through Its Constituent Attorney.

----Non-Claimant/Appellant

Versus

1. Smt. Pushpa Devi W/o Sh. Omprakash Solani Aged About 55 Years,
2. Sh. Vipin Kumar S/o Late Sh. Omprakash Solani Aged About 36 Years,
3. Vandana Kumari D/o Late Sh. Omprakash Solani Aged About 34 Years,
4. Varsha D/o Late Sh. Omprakash Solani Aged About 32 Years,
5. Vivek S/o Late Sh. Omprakash Solani Aged About 30 Years
   R/o Shahpura Mohalla, Lane No. 2, Beawar, District Ajmer (Raj.)

----Claimants/Respondents

6. Sh. Subhash Yati S/o Sh. Trilokchand Ji Yati, R/o Pipalia Bajar, Kanstia Lane, Beawar District Ajmer (Raj.)
   Driver Vehicle Santro Car No. RJ-14-8C-8669)
7. Sh. Jitendra Sain S/o Sh. Subhas Chand Sain R/o Plot No. 95, Mansinghura, Tonk Road, Jaipur (Raj.) Owner Vehicle Santro Car.

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s) : Mr. Chanderdeep Singh Jodha, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Jai Prakash Gupta, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

DATE OF CONCLUSION OF ARGUMENTS :: 06/05/2026
DATE OF RESERVED :: 06/05/2026

FULL/OPERATIVE PART PRONOUNCED :: FULL

DATE OF PRONOUNCEMENT :: 22/05/2026

1. नॉन क्लेमेंट–अपीलांट बीमा कम्पनी (जिसे आगे 'अपीलांट बीमा कम्पनी' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की ओर से यह अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, ब्यावर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–177/2014 (354/2012) श्रीमती पुष्पा देवी व अन्य बनाम श्री सुभाष यति व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 10.02.2017** (जिसे आगे 'आलोच्य निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण (जिन्हें आगे 'दावाकर्तागण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में **ओमप्रकाश** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 1,62,74,325/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को **कुल 59,11,100/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 09 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से विद्वान अधिकरण द्वारा पारित उक्त आलोच्य निर्णय को अपास्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बीमा कम्पनी का तर्क रहा है कि घटना दिनांक 05.02.2011 को घटित होना बताया गया है तथा मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के छः दिवस पश्चात् दिनांक 11.02.2011 को दर्ज करवाई गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बीमा कम्पनी का यह भी तर्क रहा है कि मामले की घटना में वाहन सेन्ट्रो कार नम्बर आरजे–14–8सी–8669 को गलत रूप से लिप्त किया गया है, उक्त वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बीमा कम्पनी का यह भी तर्क रहा है कि मामले की दुर्घटना दिनांक 05.02.2011 को घटित हुई है तथा मृतक की मृत्यु दिनांक 25.01.2014 को घटना के लगभग तीन वर्ष पश्चात् कारित हुई है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि दुर्घटना में कारित चोटों के कारण

ही ओमप्रकाश की मृत्यु हुई हो। उनका यह भी तर्क रहा है कि लीव एनकैशमेंट राशि के मद में विद्वान अधिकरण द्वारा 1085 दिवस का नगद भुगतान दावाकर्तागण को किया जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि केवलमात्र 300 दिवस के उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान ही दावाकर्तागण को किया जाना चाहिए था। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण के आलोच्य निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण की ओर से अपीलांट बीमा कम्पनी द्वारा उठाए गये उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया तथा विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलांट बीमा कम्पनी की अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से मुख्यतः यह तर्क लिया गया है कि मामले की घटना दिनांक 05.02.2011 को घटित हुई है तथा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.02.2011 को छः दिवस के विलम्ब से दर्ज करवाई गयी है, अतः घटना संदेहास्पद मानी जावे। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 05.02.2011 को घटित हुई थी, जिसमें पीड़ित/मृतक ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे दुर्घटना के तुरंत बाद इलाज हेतु एस.के. सोनी अस्पताल में ले जाया गया। पीड़ित/मृतक ओमप्रकाश के सिर में गंभीर चोट कारित हुई, जिस कारण वह कोमा में चला गया। ओमप्रकाश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–8 है, जिसमें पीड़ित/मृतक ओमप्रकाश का अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में इलाज हेतु भर्ती होना प्रमाणित है। पीड़ित/मृतक ओमप्रकाश के परिजन उसके इलाज में व्यस्त थे, इस कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप पीड़ित/मृतक अस्पताल में भर्ती रहा है तथा उसके परिवारजन भी उसकी देखभाल में व्यस्त थे, इस कारण रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने में देरी कारित हुई है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **रवि बनाम**

बद्रीनारायण व अन्य, रिपोर्टेड इन **(2011) 4 एस.सी.सी. 693** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि :–

> "**20.** It is well-settled that delay in lodging FIR cannot be a ground to doubt the claimant's case. Knowing the Indian conditions as they are, we cannot expect a common man to first rush to the Police Station immediately after an accident. Human nature and family responsibilities occupy the mind of kith and kin to such an extent that they give more importance to get the victim treated rather than to rush to the Police Station. Under such circumstances, they are not expected to act mechanically with promptitude in lodging the FIR with the Police. Delay in lodging the FIR thus, cannot be the ground to deny justice to the victim. In cases of delay, the courts are required to examine the evidence with a closer scrutiny and in doing so; the contents of the FIR should also be scrutinized more carefully. If court finds that there is no indication of fabrication or it has not been concocted or engineered to implicate innocent persons then, even if there is a delay in lodging the FIR, the claim case cannot be dismissed merely on that ground.
>
> **21.** The purpose of lodging the FIR in such type of cases is primarily to intimate the police to initiate investigation of criminal offences. Lodging of FIR certainly proves factum of accident so that the victim is able to lodge a case for compensation but delay in doing so cannot be the main ground for rejecting the claim petition. In other words, although lodging of FIR is vital in deciding motor accident claim cases, delay in lodging the same should not be treated as fatal for such proceedings, if claimant has been able to demonstrate satisfactory and cogent reasons for it. There could be variety of reasons in genuine cases for delayed lodgment of FIR. Unless kith and kin of the victim are able to regain a certain level of tranquility of mind and are composed to

> lodge it, even if, there is delay, the same deserves to be condoned. In such circumstances, the authenticity of the FIR assumes much more significance than delay in lodging thereof supported by cogent reasons."

7. इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के दुर्घटना में घायल होने पर निश्चित रूप से उसका स्वयं का तथा उसके परिवारजनों व निकट रिश्तेदारों का पूरा–पूरा ध्यान घायल के इलाज पर रहता है तथा किसी भी व्यक्ति से यह परिकल्पना नहीं की जा सकती है कि वह घायल व्यक्ति को इलाज के लिए बाद में ले जाए तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने पहले जाए। इस प्रकार दावाकर्तागण की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाये जाने का समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट छः दिवस विलम्ब से दर्ज करवाये जाने के तथ्य को किसी प्रकार से याचिका के लिए घातक नहीं माना जा सकता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाये जाने के संबंध में अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से ली गयी आपत्ति निरस्त की जाती है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बीमा कम्पनी का एक तर्क यह भी रहा है कि मामले की घटना में वाहन सेन्ट्रो कार नम्बर आरजे–14–8सी–8669 (जिसे आगे 'प्रश्नगत वाहन' के नाम से संबोधित किया जाएगा) को गलत रूप से लिप्त किया गया है, उक्त वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की जो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–2 दर्ज करवाई गई है, उसमें दुर्घटना कारित करने वाले वाहन सेन्ट्रो कार के नम्बर आरजे–14–8सी–8669 अंकित है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की दिनांक 11.02.2011 को ही अंकित किया जाना प्रकट है। हस्तगत दुर्घटना के संबंध में प्रश्नगत वाहन के पंजीकृत स्वामी को दिये गये नोटिस धारा 133 मोटरयान अधिनियम प्रदर्श–5 के जवाब में भी प्रश्नगत वाहन के पंजीकृत स्वामी प्रत्यर्थी संख्या–7 द्वारा वक्त घटना प्रश्नगत वाहन सेन्ट्रो कार नम्बर आरजे–14–8सी–8669 को प्रत्यर्थी संख्या–6 सुभाष द्वारा चलाया जाना बताया गया है। साथ ही प्रश्नगत वाहन चालक के विरुद्ध बाद अनुसंधान न्यायालय में आरोप–पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है, जिससे भी प्रश्नगत वाहन की लिप्तता दुर्घटना में साबित होती है। प्रश्नगत

वाहन की मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श–6 तथा फर्द जब्ती प्रदर्श–7 पत्रावली पर संलग्न है। मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट में प्रश्नगत वाहन के बाईं तरफ (खलासी साईड) फाटक डोर के पास रगड़क व मोच के निशान है। अगले हिस्से पर डोर फाटक के ऊपर रगड़क व लाईन के निशान दर्शाए गए है, जिससे यह प्रकट होता है कि दुर्घटना के पश्चात् ही प्रश्नगत वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिससे भी प्रश्नगत वाहन की लिप्तता दुर्घटना में साबित होती है। अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर पेश नहीं की गयी है। इन समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह नहीं माना जा सकता है कि मामले की दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन को मिथ्या लिप्त किया गया हो। अतः अपीलांट बीमा कम्पनी की उपरोक्त आपत्ति भी निरस्त की जाती है।

9. अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से एक अन्य आपत्ति यह ली गई है कि मामले की घटना दिनांक 05.02.2011 को घटित हुई है तथा पीड़ित ओमप्रकाश की मृत्यु घटना के लगभग तीन वर्ष पश्चात् दिनांक 25.01.2014 को हुई है, इस कारण यह नहीं माना जा सकता है कि मामले की दुर्घटना में कारित हुई चोटों के फलस्वरूप पीड़ित ओमप्रकाश की मृत्यु कारित हुई हो। इस संबंध में हमारा मानना यह है कि घटना दिनांक 05.02.2011 को घटित हुई है व मामले की दुर्घटना में पीड़ित ओमप्रकाश के सिर में कारित हुई गंभीर चोट के फलस्वरूप पीड़ित ओमप्रकाश घटना के दिन से ही कोमा में चला गया था। पत्रावली पर पीड़ित/मृतक ओमप्रकाश का स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–16 संलग्न हैं जो कि राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पीड़ित ओमप्रकाश के सिर में कारित हुई गंभीर चोट के कारण उसे कोमा में चला जाना बताया गया है तथा पीड़ित ओमप्रकाश के शरीर पर 100 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना अंकित गया है। पत्रावली पर पीड़ित/मृतक ओमप्रकाश के फोटोग्राफ्स प्रदर्श–18 लगायत प्रदर्श–21 संलग्न हैं, जिनमें पीड़ित ओमप्रकाश को बिस्तर पर लेटा होना दर्शाया गया है, जिसके नाक में नली लगी हुई है। इसी प्रकार प्रदर्श–24 जो कि अधीक्षक डाकघर द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि स्व. श्री ओमप्रकाश सोलंकी कोमा के कारण दिनांक 06.02.2011 से 25.01.2014 मृत्यु दिनांक तक कार्यालय में अनुपस्थित रहा है। जिससे भी यह

प्रकट होता है कि पीड़ित ओमप्रकाश दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप दुर्घटना दिनांक को ही कोमा में चला गया था तथा स्वस्थ नहीं हो सका और अंत तक कोमा में रहा व अंततः उसकी मृत्यु हो गयी। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि पीड़ित/मृतक की मृत्यु किसी अन्य कारण से हुई हो बल्कि मामले की दुर्घटना में सिर में कारित हुई गंभीर चोटों के फलस्वरूप पीड़ित/मृतक की मृत्यु कारित हुई है। अतः इस संबंध में अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से उठाई गई उपरोक्त आपत्ति भी निरस्त की जाती है।

10. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बीमा कम्पनी द्वारा एक आपत्ति यह ली गई है कि विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्तागण को 1085 दिवस का लीव एनकैशमेंट दिलवाया जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत केवलमात्र 300 दिवस के उपार्जित अवकाश का ही भुगतान किया जाना चाहिए था। इस संबंध में राजस्थान सेवा नियम के नियम 91–ख में यह प्रावधान किया गया है कि सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने की स्थिति में कर्मचारी के खाते में जमा अधिकतम 300 दिनों तक के उपार्जित अवकाश का एकमुश्त नकद भुगतान किया जाता है। कुल देय राशि की गणना कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) ÷ 30 x अवकाशों की संख्या के आधार पर की जाती है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम, 300 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान दावाकर्तागण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं। तद्नुसार दावाकर्तागण को उक्त अवधि के लिए 2,88,600/– रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त आपत्ति की हद तक अपीलांट बीमा कम्पनी द्वारा उठाई गई आपत्ति स्वीकार की जाती है।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा आय की क्षति के मद में 15 प्रतिशत भविष्य वृद्धि के फलस्वरूप कुल 26,13,106/– रुपये, अंतिम संस्कार की मद में 25,000/– रुपये, कंसोर्टियम की मद में 3,00,000/– रुपये, 124 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 62,000/– रुपये, इलाज के दौरान व्यय राशि के मद में 11,61,009/– रुपये, परिचारक/सहायक की मद में 5,87,700/– रुपये, यातायात व परिवहन पर व्यय राशि के मद में 25,000/– रुपये तथा पौष्टिक आहार की मद में 1,00,000/– रुपये की राशि दावाकर्तागण को दिलवाई गई है। उपरोक्त मदों में दिलवाई गई राशि बाबत्

अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से कोई आपत्ति नहीं ली गई है। यद्यपि अंतिम संस्कार की मद में 25,000/– रुपये की राशि दावाकर्तागण को दिलवाई गई है, किन्तु सम्पदा की हानि के मद में कोई राशि दावाकर्तागण को नहीं दिलवाई गई है। ऐसी स्थिति में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अंतिम संस्कार की मद में तथा सम्पदा की हानि के मद में कुल 30,000 की राशि दावाकर्तागण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. उपरोक्तानुसार दावाकर्तागण निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)**
1.	आय की क्षति के मद में	22,72,266/–
2.	भविष्य की प्रत्याशा की मद में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी	3,40,840/–
3.	अंतिम संस्कार की मद में तथा सम्पदा की हानि के मद में	30,000/–
4.	कंसोर्टियम की मद में	3,00,000/–
5.	124 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	62,000/–
6.	इलाज के दौरान व्यय राशि के मद में	11,61,009/–
7.	परिचारक/सहायक की मद में	5,87,700/–
8.	अवकाश पर रहने की मद में	2,88,600/–
9.	यातायात व परिवहन की मद में	25,000/–
10.	पौष्टिक आहार की मद में	1,00,000/–
	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	**51,67,415/–**
	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	59,11,082/–
	क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	**–7,43,667/–**

13. तद्नुसार अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–3043/2017,** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा दावाकर्तागण को **59,11,082/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **51,67,415/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। दावाकर्तागण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि दावाकर्तागण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

14. इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 03.07.2017 के अनुसार अपीलांट बीमा कम्पनी को आदेश दिया गया था कि वह विद्वान अधिकरण द्वारा आदेशित सम्पूर्ण अवार्ड राशि विद्वान अधिकरण के समक्ष जमा करवाए तथा जमा करवाई गई सम्पूर्ण राशि में से 50 प्रतिशत राशि का वितरण दावाकर्तागण को किया जाए तथा शेष रही 50 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ.डी.आर. के रूप में जमा रखी जावे। चूंकि इस न्यायालय द्वारा अपीलांट बीमा कम्पनी की अपील को स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण के समक्ष जो शेष 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा है, उसका भुगतान अब इस निर्णय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि को दृष्टिगत रखते हुए मय ब्याज नियमानुसार दावाकर्तागण को कर दिया जावे।

15. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

16. तदनुसार उपरोक्त अपील निस्तारित की जाती है।

17. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ/9